

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- आशाराम डूडी आर.ए.एस

(1) अपील सं० 2017/00378 (372/2017) 223 आरटीएक्ट

1. उम्मेदसिंह पुत्र भगवानाराम } जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा
2. रोशनी पत्नी भगवानाराम } जिला हनुमानगढ़

अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण सं० 3 व 6

बनाम

1. महेन्द्र }
2. बलवन्त } पि० मुन्शीराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा
3. जोतराम } जिला हनुमानगढ़। -रेस्पोंडेण्ट्स/वादीगण
4. दयाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रामसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. जसवन्तसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)
7. सुन्दर पत्नी भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. गुड्डी पत्नी शेरसिंह जाति जाट (मेहरिया) निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. शाखा प्रबन्धक ओ०बी०सी शाखा 6 जे०जी०डब्ल्यू निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. सरोज बाला पत्नी सव जसवनत पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

-रेस्पोंडेण्ट्स

विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र० संख्या 51/2014 महेन्द्र आदि बनाम दयाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(2) अपील सं० 2017/00391 (386/2017) उम्मेदसिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि

1. उम्मेदसिंह पुत्र भगवानाराम } जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा
2. रोशनी पत्नी भगवानाराम } जिला हनुमानगढ
अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण सं० 3 व 6

बनाम

1. महेन्द्र }
2. बलवन्त } पि० मुन्शीराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा
3. जोतराम } जिला हनुमानगढ। -रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण
4. दयाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. रामसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. जसवन्तसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। (फौत)
7. सुन्दर पत्नी भगवानाराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. गुड्डी पत्नी शेरसिंह जाति जाट (मेहरिया) निवासी साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।
10. शाखा प्रबन्धक ओ०बी०सी शाखा 6 जे०जी०डब्ल्यू निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
11. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. सरोज बाला पत्नी सव जसवन्त पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

-रेस्पोडेण्ट्स

विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र० संख्या 51/2014 महेन्द्र आदि बनाम दयाराम आदि

उपस्थित:-

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनीराम सरावग/मदनलाल कडवासरा रेस्पो० सं० 1 ता 3



राजस्थान अपील अधिकारी
जिला हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक:- 05.11.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक दावा प्रस्तुत किया। वाद पत्र में चक 13 ए.एम. एस. पटवार हल्का साहुवाला के खाता संख्या 75/73 की 10.879 है0 व 11 जे. जी.डब्ल्यू पटवार हल्का जोगीवाला की खाता संख्या 204/163 की 11.1320 है। भूमि को संयुक्त खाता की भूमि होना बताया तथा शामिल खाता होने के कारण सींव डोल को लेकर आपस में तनाव रहना व लगान आदि के कारण आपस में झगड़ा होने बताते हुए प्रश्नगत भूमि को वाद पत्र के अनुसार खाता विभाजन करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.07.2015 को वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया एवं तथा तहसीलदार को मौका कमीशनर नियुक्त किया एवं पक्षकारान को अच्छी मन्दी के हिसाब से रास्ता दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करने को आदेश पारित किये विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 13.06.2016 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध उपरोक्त अलग अलग दो अपीलें पेश हुई। दोनों अपीलें एक ही भूमि से संबंधित होने एवं समान पक्षकार होने के कारण दोनों अपीलो का एक साथ निर्णय किया जाता रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट व शेष रेस्पोंडेण्ट्स को साक्ष्य सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही नोटिस पर विधिवत तामील करवाई गई। नोटिस की तामील चस्पादंगी द्वारा की गई है जबकि चस्पादंगी के कोई आदेश जारी नहीं किये गये। नोटिस पर दो गवाहों की कोई पहचान नहीं करवाई गई किसके द्वारा नोटिस चस्पादंगी की गवाही दी गई है ये स्पष्ट नहीं है कि कौन लोग है। अपीलाण्ट की तामील प्रोपर नहीं है। विभाजन हेतु राजस्व मण्डल के निण्यम 18 से 21 की पालना नहीं की गई ना ही तहसीलदार द्वारा मौका पर स्वयं द्वारा विभाजन की रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव केवल पटवारी हल्का से तैयार करवाया है जबकि उसे स्वयं द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक था। विधिवत तामील हुए एक पक्षीय पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 4 जसवंत दिनांक 11.06.2016 को फौत हो चुके जिसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी पत्नी सरोजबाला मौजूद है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति जसवंत के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। चक 11 जे.जी.डब्ल्यू तहसील भादरा के मु. नं. 55 किला नं. 20, 21 अपीलाण्ट संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। हम भगवानाराम के वारिस हैं। अपीलाण्ट के पूर्वजों के मध्य अर्सादराज 70 वर्ष पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका था, जिसके अनुसार मु. नं. 74 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10, 11 ता 14 व मु. नं. 55 के किला न. 13, 14, 17 ता 20, 21



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ता 24 की भूमि स्व० श्री भगवानाराम के हिस्से में आने के फलस्वरूप स्व भगवानाराम के वारिसान उक्त भूमि पर काबिज हैं। अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अपीलाधीन निर्णय कतई एकपक्षीय पारित किया गया है। परिणाम स्वरूप चक 11 जे.जी.डब्ल्यू के मु. नं. 54 के किला नं. 6 व मु. नं. 55 के किला नं. 8, 9, 1, 12 जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के कब्जा में है बाबत अपीलाण्ट्स जवाब दावा देने से वंचित रहे हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाण्ट ने जब 10.10.2017 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत भूमि के खाता विभाजन हेतु नकल जमाबंदी प्राप्त की तब हल्का पटवारी ने बताया कि प्रश्नगत भूमि की तो खाता विभाजन की डिक्री जारी हो चुकी है परन्तु उसमें कुछ त्रुटियाँ होने से अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ है जिस पर अपीलान्ट ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए भादर स्थिति अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर पत्रावली तलाश कर नकल प्राप्त की तब अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। नकल प्राप्त करते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। दोनों अपीलें ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2007 आरआरटी पेज 353, 2011 आरआरटी 984, 2010 आरआरटी पेज 605 (एचसी), 2014 आरआरटी पेज 258 (डी.बी.), 2007 आरआरटी पेज 194, 2001 आरआरटी पेज 1233, 2017 आरआरटी पेज 686, 1995 आरआरडी पेज 475 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को जरिये नोटिस तामील करवाई गई है लेकिन नोटिस प्रस्तुत होने के बावजूद इनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं आया तथा नोटिस पर तामील कुनिंदा ने जसवंत जो भगवानाराम का पुत्र है उसको नोटिस देकर तामील करवाई जिसकी शिनाख्त भादरराम कोतवाल ने की थी। नोटिस पत्रावली में संलग्न है। तहसीदार भादरा व हल्का पटवारी ने मौका देख कर भूमि की रिपोर्ट नियम 18 ता 21 की पालना करते हुए मुताबिक हक हिस्सा मुताबिक किस्म रिपोर्ट पेश की है जिस पर भगवानाराम के वारिसों रामसिंह व दयाराम तथा विनोद के हस्ताक्षर करवाये गये हैं जिससे यह साबित है कि इस प्रस्ताव से सहमत थे इसके बाद दिनांक 13.06.2016 को मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया गया है तथा सभी पक्षकार मुताबिक निर्णय तथा प्रस्ताव में आई भूमि पर काबिज हैं। भगवानाराम के सभी वारिसान इस निर्णय से सहमत हैं। उम्मेदसिंह का अपने भाईयों के साथ कई विवाद हैं जिसकी रंजिश वश यह अपील पेश की है। अगर उसका भगवानाराम के वारिसों साथ विवाद है तो वह अपने भाईयों पर इसका दावा पेश कर सकता है हमारे साथ इनका कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलाधीन निर्णय मृतक के खिलाफ पारित किया गया है। नोटिस पर जसवन्त सिंह के हस्ताक्षर हैं तथा जसवन्त के वारिसों को इसमें कोई एतराज भी नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं यदि निर्णय में परिवर्तन होता है तो रेस्पोडेण्टगण को भारी नुकसान होगा क्योंकि उक्त निर्णय के बाद रेस्पोडेण्ट ने अपने हिस्से पर मकान बना लिये हैं तथा करावा लगाकर भूमि को समतल कर लिया है तथा ट्यूबेल भी लगा लिया है इसलिए अपील खारिज की जाने योग्य



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। रामसिंह व दयाराम जो अपीलांट के भाई हैं की सहमती के हस्ताक्षर हैं इसलिए निर्णय से पहले इनको सहमति का पता था। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है अपील में हुई देरी को दिन प्रतिदिन एक एक दिन के हिसाब से साबित करना पड़ता है। अपीलांट की दोनों अपीलें मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियमों में अंकित तथ्यों को देखते हुए एवं दोनों अपीलों का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलों में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। दोनों अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।
7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय में वाद खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 को जारी की गई एवं अंतिम डिक्री 13.06.2016 को जारी की गई है। अपीलांट का यह यह कथन है कि जसवन्त सिंह का देहान्त हो चुका था अपीलाधीन निर्णय डिक्री मृतक के विरुद्ध पारित की गई। अपील में अपीलांट ने प्रतिवादी सं० 4 जसवन्त सिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु उसके द्वारा अपील में उसका 11.09.2016 को होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि जसवन्त सिंह अन्तिम डिक्री पारित होने के तीन माह पश्चात फौत हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट सं० 1 उम्मेद सिंह का नोटिस संलग्न है जिसमें उसका नोटिस उसके भाई जसवन्तसिंह द्वारा प्राप्त किया गया है। नोटिस पर यह अंकित है कि "प्रार्थी घर पर हाजिर नहीं मिला गांव गया बताया एक प्रति नाटिस प्रार्थी के भाई जसवन्त पुत्र भगवानाराम ने प्राप्त की शामिल रहता बताया।" अपीलांट संख्या 2 का नोटिस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसमें आबाद मकान पर चस्पांदगी की रिपोर्ट अंकित की गई है। दोनों अपीलाण्ट्स के नोटिस स्वयं पर तामील नहीं करवाये गये हैं अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में चस्पांदगी द्वारा नोटिस तामील करवाने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं जबकि अपीलांट का अपील में यह कथन है कि उनके पूर्वजों के मध्य 70 वर्ष प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन हो चुका था जिसके आधार पर वह प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अपीलाण्ट्स जवाबदावा देने से वंचित रह गया है जो विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट्स को पूर्व में हुए खाता विभाजन के संदर्भ में सुना जाना आवश्यक था। अतः अपीलाण्ट्स की उक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट्स की दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड अधिकारी के दोनों अपीलाधीन



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

- (1) अपील सं० 2017/00378 (372/2017) उम्मेदसिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि
(2) अपील सं० 2017/00391 (386/2017) उम्मेदसिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 व अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2019 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)

राजस्थान अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

